

न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर।  
सत्र परीक्षण सं०-12/2021

सरकार

बनाम

नीटू आदि

धारा 60(2) उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क /

आबकारी अधिनियम एवं धारा 272, 273 भा०दं०सं०

थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

आरोप

मैं सुश्री निधि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद जिला सहारनपुर आप अभियुक्तगण नीटू एवं राजू को निम्नलिखित आरोपो से आरोपित करती हूँ।

1- यह कि दिनांक 14.06.2020 को समय 17:30 बजे स्थान जंगल ग्राम सोहनचिडा थाना क्षेत्र देवबन्द जनपद सहारनपुर में आपको पुलिस द्वारा छापा मारकर अवैध शराब खाम की कसीदगी करते हेतु गिरफ्तार किया गया एवं आपके पास से दस लीटर अपमिश्रित शराब खाम एवं शराब बनाने के उपकरण, बरामद हुये। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध कारित किया जो उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/आबकारी अधिनियम की धारा 60(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने विक्रय के लिए आशयित अवैध शराब खाम में अपमिश्रित यूरिया की मिलावट कर अपायकर बनाया जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेय पदार्थ है। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध कारित किया जो भा०दं०सं० की धारा 272 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने विक्रय के लिए आशयित अवैध शराब खाम में अपमिश्रित यूरिया की मिलावट कर अपायकर बनाया, जिसे ब्रिकी के लिये आप अपने पास रखे थे, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेय पदार्थ है। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध कारित किया जो भा०दं०सं० की धारा 273 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोप की बाबत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांक: 14.07.2022

( सुश्री निधि )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

देवबन्द, सहारनपुर ।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये व समझाये गये । अभियुक्तगण ने आरोपो से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की ।

दिनांक: 14.07.2022

( सुश्री निधि )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

देवबन्द, सहारनपुर ।

न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर।  
एस.सी. सं०-01/2022

सरकार

बनाम

सरजीत उर्फ काला

मु०अ०सं० 539/2019

अन्तर्गत धारा 60(2) उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/

आबकारी अधिनियम एवं धारा 272,273 भा०दं०सं०

थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

### आरोप

मैं सुश्री निधि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद जिला सहारनपुर आप अभियुक्तगण सरजीत उर्फ काला, को निम्नलिखित आरोपो से आरोपित करती हूँ।

1- यह कि दिनांक 06.07.2019 को समय 10:30 बजे स्थान गांधी कालौनी थाना क्षेत्र देवबन्द जनपद सहारनपुर में आपको पुलिस द्वारा छापा मारकर अवैध शराब खाम की कसीदगी करते हेतु गिरफ्तार किया गया एवं आपके पास से बीस लीटर अपमिश्रित शराब खाम एवं शराब बनाने के उपकरण, बरामद हुये। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध कारित किया जो उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/आबकारी अधिनियम की धारा 60(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आपने विक्रय के लिए आशयित अवैध शराब खाम में अपमिश्रित यूरिया की मिलावट कर अपायकर बनाया जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेय पदार्थ है। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध कारित किया जो भा०दं०सं० की धारा 272 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने विक्रय के लिए आशयित अवैध शराब खाम में अपमिश्रित यूरिया की मिलावट कर अपायकर बनाया, जिसे ब्रिकी के लिये आप अपने पास रखे थे, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेय पदार्थ है। इस प्रकार आपने यह ऐसा